मालखाना आईटम का निस्तारण

Content

Time: 90 min

1. पुलिस थानों में जप्त वाहनों/मादक पदार्थो एवं स्वापक औषधियों/शराब के निस्तारण बाबत्, कमांक 6504 दिनांक 18.05.2016
2. आदेश, कमांक 7218–72 दिनांक 17.05.2016
3. मालखाना आइटम्स (वाहनों) के निस्तारण हेतु विशेष अभियान के संबंध में, कमांक 6004–6045 दिनांक 13.03.2019

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर।

कमांकः– सीआईडी/सीबी/पीआरसी/2016/6504-55 दिनांकः– 18.05.2016

आदेश

विषयः–पुलिस थानों में जब्त वाहनों/मादक पदार्थो एवं स्वापक औषधियों/ शराब के निस्तारण बाबत्।

राज्य के विभिन्न थानों में जब्त किये गये वाहनों/मादक पदार्थों एवं स्वापक औषधियों/शराब बाबत् परिपत्रों–(1) सीआईडी/सीबी/2011/एनडीपीएस सैल/ 2015/7218–72 दिनांक 17.05.2016 (2) सीआईडी/सीबी/पीआरसी/ परिपत्र/ 2015/16865–915 दिनांक 30.07.2015 (3) 1491–1537 दिनांक 06.11.1999, आबकारी विभाग के परिपत्र संख्या प. 22 (बी) (10) डोपो/आब/ सेटल/2008/836 दिनांक 01.05.2014, भारत का राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 16.01.2015 एवं सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम् गुजरात राज्य सरकार में माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय आदि की सहायता से निस्तारण किये ज़ाते हैं।

अतः राज्य के पुलिस थानों में जब्तशुदा मालों के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाने के लिये ब्लॉक डायग्राम तैयार किये गये हैं। जिन्हें समस्त पुलिस थानों को Circulate (परिचालित) कर प्रभावी कार्यवाही करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

Digitally Signed

Pankaj Kumar Singh
ADGP Crime

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर एवं समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज राजस्थान।
2. समस्त पुलिस उपायुक्त, ज़यपुर/जोधपुर एवं समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि इस प्रक्रिया से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आप अपने कार्यालय में एक कार्यशाला आयोजित करें जिसमें उप निदेशक अभियोजन का प्रतिनिधि, वृताधिकारी, थानाधिकारी एवं थानों के मालखाना प्रभारी भाग लें। इस कार्यशाला में मालखाना निस्तारण प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण दिया जावे एवं पालना रिपोर्ट 5 जून तक जरिये ईमेल–dailysitrep@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

अति. महानिदेशक पुलिस
सी.आई.डी. (अपराध शाखा)
राजस्थान, जयपुर।

एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत
जब्त माल की निस्तारण प्रक्रिया

वित मंत्रालय(राजस्व विभाग) अधिसूचना दिनांक: - 16-01-2015 के अनुसार

ट्रायल पूर्व

एन.डी.पी.एस पदार्थ का शीघ्रतम FSL से जाँच करवा कर रिपोर्ट हासिल करना

जप्तसुदा सामग्री अगर क्षरण योग्य, चोरी होने योग्य, स्थान आभाव, प्रतिस्थापन योग्य की श्रेणी की है तो संलग्न श्रेणी(सूची अ) की मात्रा तक निस्तारण **हेतु** एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 52 अ के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मजिस्ट्रेट से सत्यापन करवाने की कार्यवाई

सम्बन्धित न्यायालय से Inventory हेतु प्रार्थना पत्र एवं एन.डी.पी.एस एक्ट के अनुसार आवश्यक फर्दात आदि प्रस्तुत कर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना

नियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष माल की फर्द जप्ती, फर्द सुचना, फर्द नमूना सील इत्यादि प्रस्तुत करेंगे नियुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा सभी फर्दात, जप्तसुदा माल,वजन आदि का सत्यापन करेंगे पूरी करवाई की रंगीन फोटोग्राफी कर जप्त माल को पुनः अपनी सील से सील मुहर कर रिपोर्ट करेंगे

मजिस्ट्रेट से सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त कर सम्बंधित ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत कर सामग्री के निस्तारण का आदेश प्राप्त करना

फर्द जब्ती, Inventory की प्रति, FSL Report, न्यायालय आदेश की प्रति के साथ, ड्रग निस्तारण कमेटी को प्रार्थना **सूचि - अ**

ड्रग निस्तारण कमेटी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा निस्तारण किया जाएगा

ट्रायल पश्चात

माल निस्तारण बाबत् स्पष्ट न्यायालय के निर्णय की अनुपस्थिति में 452 सीआरपीसी ट्रायल कोर्ट में निर्णय हेतू पुनर्निवेदन कर आदेश प्राप्त करना,स्पष्ट आदेश प्राप्त होने पर

डोडा पोस्त

आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा निस्तारित किया जाएगा

अफीम मार्फिन कोईडिन थोईबिन

सम्बन्धित सरकारी एजेंसी Govt. Opium and Alkaloid Works Undertaking at Ghazipur OR Neemach में जमा करवाना होता है।

शेष एन.डी.पी.एस पदार्थ

सम्बन्धित कमेटी को फर्द जब्ती, माल का वजन, FSL रिपोर्ट, न्यायालय निर्णय की प्रति, अपील अवधि का समाप्ति व कानूनी कार्यवाही में आवश्यकता नहीं होने का प्रमाण पत्र

ड्रग निस्तारण कमेटी द्वारा निर्धारित द्वारा प्रक्रिया द्वारा निस्तारण किया जाएगा

सूचि - अ

DGP Order No. : - CID/CB/11/NDPS Cell/2015/7218-72
Dated:-17-05-2016

S No.	Name of Item	Quantity
1.	Heroin	5Kg.
2.	Hashish(Charas)	100Kg.
3.	Hashish oil	20Kg.
4.	Ganja	1000Kg.
5.	Cocaine	2KG.
6.	Mandrax	3000Kg.
7.	Poppy Straw	Up to 10 MT.
8.	Other Narcotic Drugs, psychotropic substances, controlled substances or conveyances(वाहन)	Up to the value of Rs. 20 lakh.

Stock more than above quantity would be disposed by Special High empowered committee

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक सीआईडी / सीबी / पीआरसी / 2016 / 6504-55 दिनांक 18.05.2016

विदेशी मदिरा, बीयर, देशी मदिरा एवं हथकड शराब की निस्तारण प्रक्रिया

आबकारी विभाग के परिपत्र संख्या प. 22 (बी) (10) डोपो / आब / सेटल / 2008 / 836 दिनांक 01.05.2014

- *हथकड़ शराब*
  - जब्त मदिरा की यथाशीघ्र एफ.एस. एल.से जाँच करवाएं
  - सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य सरकार में उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार प्रकरण में दो-तीन गवाह(महत्वपूर्ण) के बयान कोर्ट में हो जाने पर इस हवाले से मजिस्ट्रेट को प्रार्थना कर नष्टीकरण का आदेश प्राप्त करे
  - मजिस्ट्रेट द्वारा जिला आवकारी अधिकारी को आदेश देकर टीम गठित करवा कर शराब नष्ट करवाएंगे, इस सारी प्रकिया की फोटोग्राफी मय नष्टीकरण रिपोर्ट के न्यायालय में पेश करेंगे

- *विदेशी मदिरा, बियर, देशी मदिरा*
  - एफएसएल से माल का रासायनिक परिक्षण करवाया जायेगा।
  - न्यायालय में चल रहे प्रकरणों में निर्णय से शेष प्रकरणों में सम्बन्धित थानाधिकारी, सहायक लोक अभियोजक के सहयोग से न्यायालय में निस्तारण की स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
    - मानवोपयोगी नहीं होने पर
      - मात्रा 1000 लीटर तक है तो सहायक आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट करेंगे।
      - मात्रा 1000 से 10000 लीटर तक है तो जिला आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट करेंगे।
      - मात्रा 10000 लीटर से अधिक होने पर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त की उपस्थिति में नष्ट करेंगे।
    - मानवोपयोगी होने पर
      - सम्बन्धित जिला आबकारी कार्यालय में जमा करवायें।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक सीआईडी / सीबी / पीआरसी / 2016 / 6504-55 दिनांक 18.05.2016

आपराधिक प्रकरणों एवं 102 द.प्र.सं. में जब्त वाहन

निस्तारण प्रक्रिया

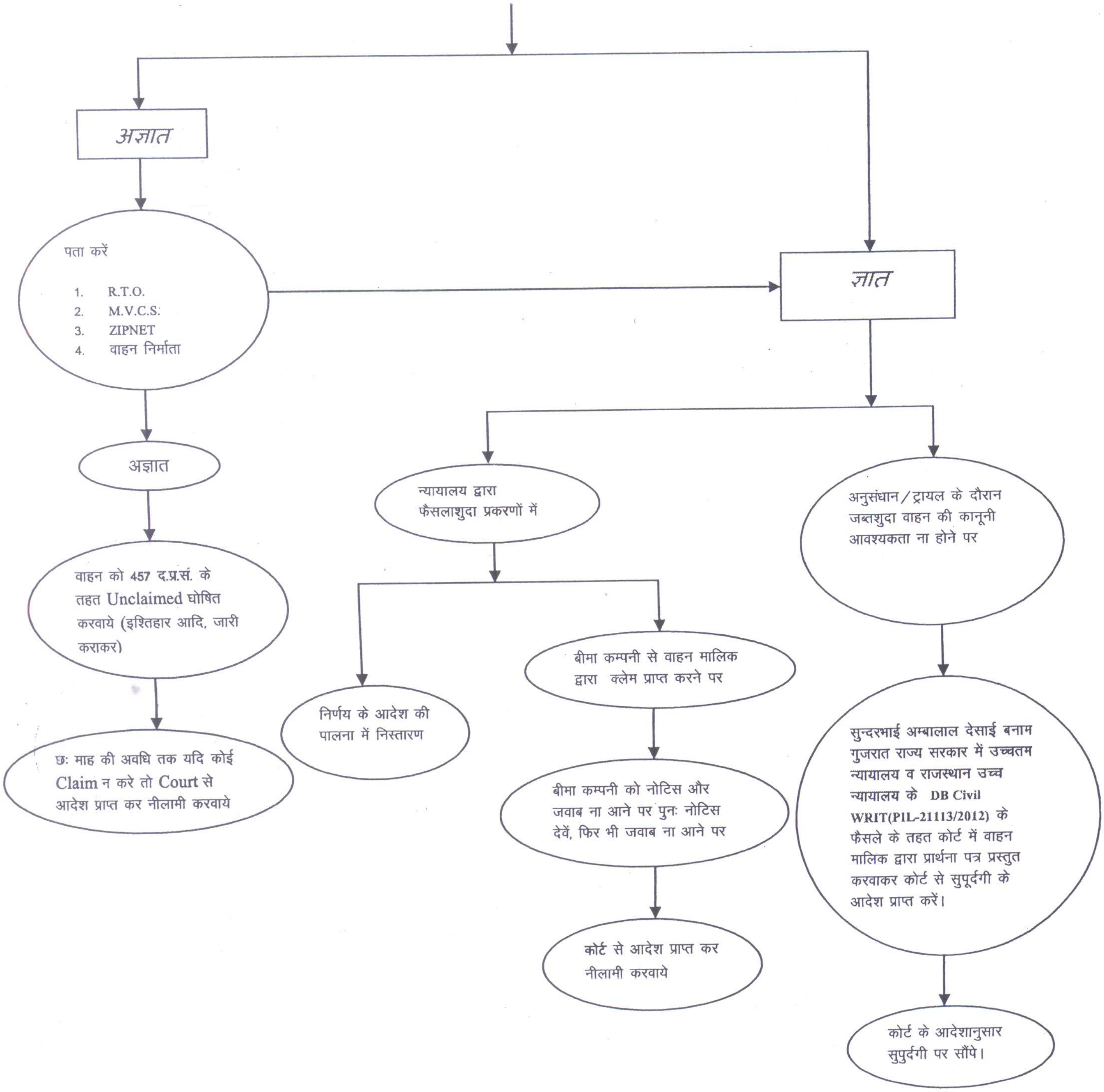

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक सीआईडी/सीबी/पीआरसी/2016/6504-55 दिनांक 18.05.2016

38 पुलिस अधिनियम में जब्त वाहन
निस्तारण प्रक्रिया

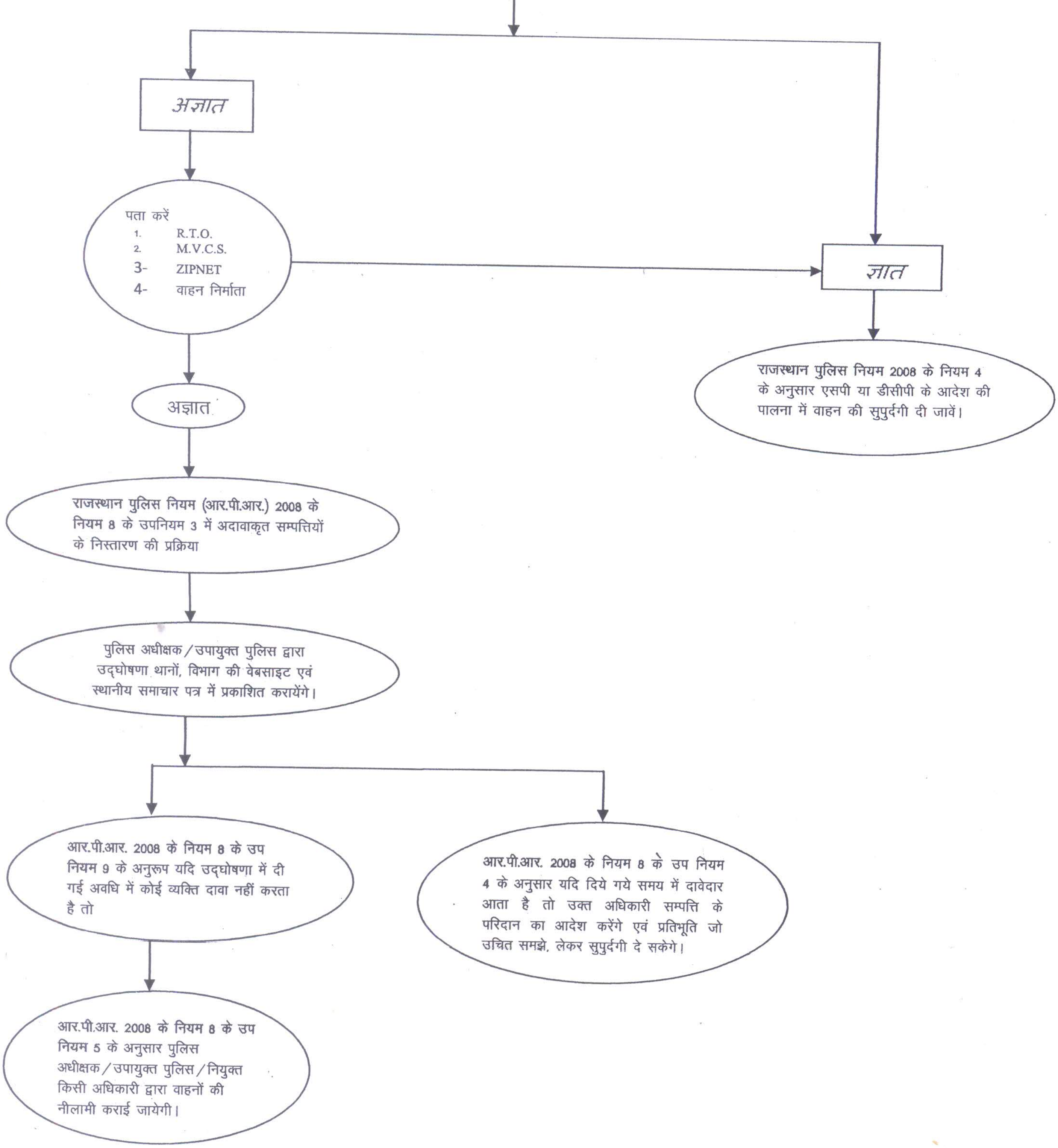

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक सीआईडी/सीबी/पीआरसी/2016/6504-55 दिनांक 18.05.2016

207 / 185 एम.वी. एक्ट में जब्त वाहन
निस्तारण प्रक्रिया

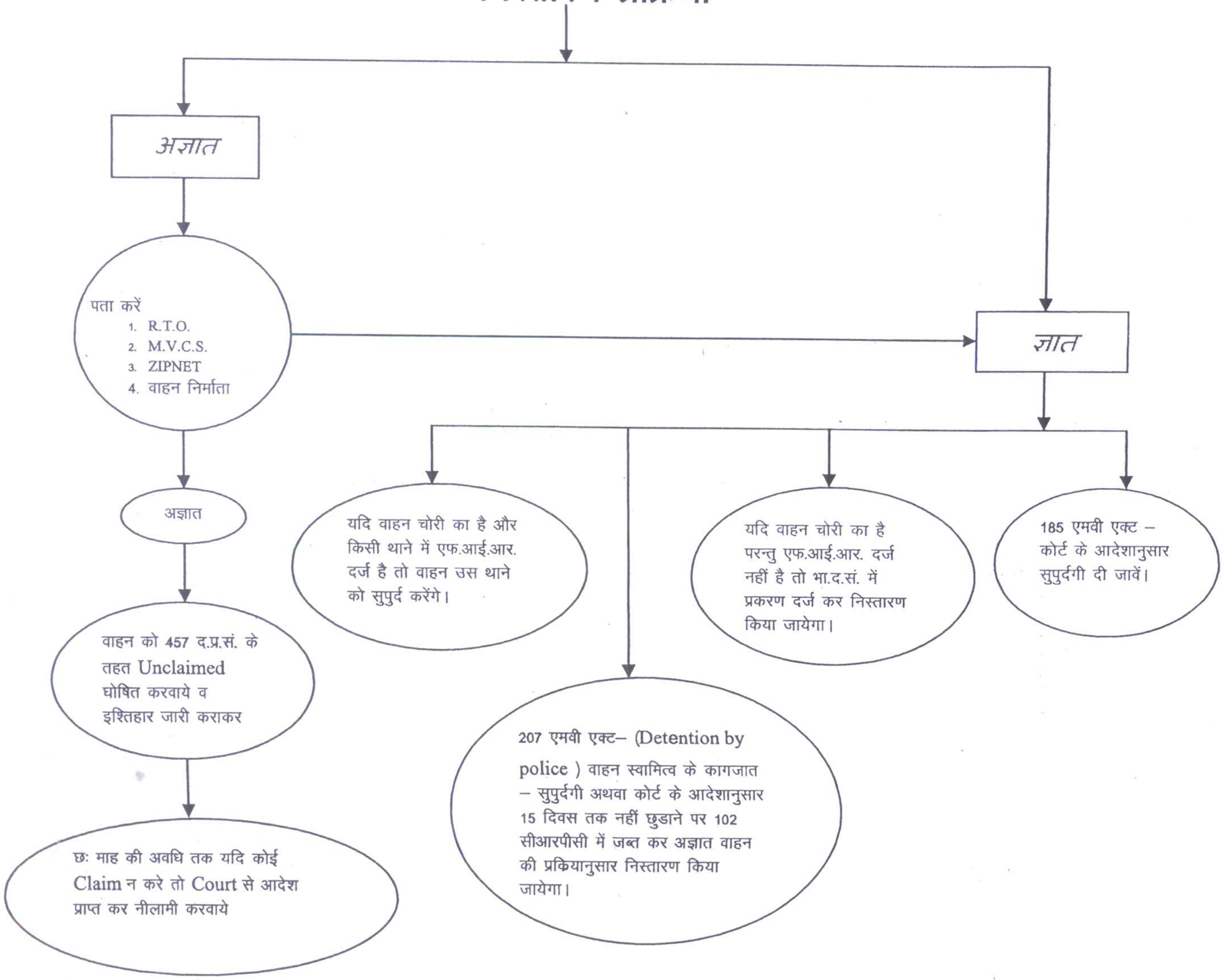

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक
सीआईडी / सीबी / पीआरसी / 2016 / 6504-55 दिनांक 18.05.2016

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

कमांक:– सीआईडी/सीबी/11/एनडीपीएस सैल/2015/7218-72 दिनांक:– 17/5/16

ई-मेल

-:आदेश:-

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम(एनडीपीएस एक्ट) 1985 की धारा 52(क) के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 16.01.15 (भारत का राजपत्र मे प्रकाशित दिनांक 16.01.15) के पैरा संख्या 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार प्रत्येक जिले के लिये जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति का गठन किया जाता हैः–

1. जिला पुलिस उपायुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक मय जीआरपी – समिति अध्यक्ष
2. अति. पुलिस उपायुक्त जिला/अति. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय (संबंधित जिला)– सदस्य
3. अपराध सहायक संबंधित जिला– सदस्य

उक्त जिला स्तरीय समिति अधिसूचना के पैरा संख्या 8 के अनुसार नीचे सारणी मे उपदर्शित मात्राओं तक जप्त की गई, मदो के व्ययन के लिये आदेश कर सकेगी।

(1)	(2)	(3)
क्र. सं.	औषधि का नाम	प्रति खेप मात्रा
1.	हेरोइन	5 किलोग्राम
2.	हशिश(चरस)	100 किलोग्राम
3.	हशिश तेल	20 किलोग्राम
4.	गांजा	1000 किलोग्राम
5.	कोकेन	2 किलोग्राम
6.	मेंड्रेक्स	3000 किलोग्राम
7.	पोस्त तृण	10 मिट्रिक टन तक
8.	अन्य स्वापक औषधियां, मनः प्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ अथवा वाहन	20 लाख रू. के मूल्य तक

परन्तु यदि खेप उक्त सारणी मे उपदर्शित मात्रा से बडे या मूल्य से अधिक के है तो ऐसी औषधियों के व्ययन हेतु निम्नानुसार रेंज स्तर पर उनसे सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के जिलो के मामलो मे उच्चस्तरीय औषधि व्ययन समिति का गठन किया जाता हैः–

1. पुलिस आयुक्त/महानिरीक्षक पुलिस रेंज मय जीआरपी – अध्यक्ष
2. पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक संबंधित जिला – सदस्य
3. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अपराध एवं सतर्कता (संबंधित रेंज कार्यालय)– सदस्य

परन्तु उपरोक्तानुसार सारणी मे उपवर्शित मात्रा से बडे या मूल्य से अधिक के है तो ऐसी औषधियों के व्ययन हेतु जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति द्वारा पहले अपनी सिफारिशें महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को भिजवाई जायेंगी एवं इस कार्यालय से आदेश जारी होने के पश्चात ही उच्चस्तरीय औषधि व्ययन समिति द्वारा व्ययन की कार्यवाही की जायेगी। औषधि व्ययन हेतु उक्त अधिसूचना दिनांक 16.01.15 (प्रति संलग्न) के सभी निर्देशो की पालना की जायेगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(मनोज भट्ट)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर एवं महानिरीक्षक पुलिस रेंज राजस्थान मय जीआरपी जयपुर।
2. समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी जयपुर/जोधपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, प्रशासन एवं पी.आर.सी., सी.आई.डी.(सी.बी.) राज., जयपुर।

12/5/16

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा
राजस्थान

क्र.सं. सीआईडी/सीबी/पीमास्सी/2019/6004-6045 दि. 13 मार्च 2019

समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर,
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक मय जी.आर.पी., राजस्थान पुलिस ।

विषयः मालखाना आइटम्स (वाहनों) के निस्तारण हेतु विशेष अभियान के संबंध मे ।

सन्दर्भः महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा दिनांक 1.03.2019 को video conference में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित निर्देशों के क्रम में लेख है कि मालखाना आइटम्स का निस्तारण राजस्थान पुलिस की वर्ष 2019 की पुलिस प्राथमिकताओं में सम्मिलित है । सभी पुलिस प्राथमिकताओं की क्रियान्विति हेतु कार्रवाई योग्य बिन्दुओं की एक booklet भी पुलिस मुख्यालय द्वारा तैयार कर आपको प्रेषित की गई है । वर्ष में अब तक इस विषय पर की गई कार्रवाई का स्तर संतोषप्रद नहीं पाया गया है ।

महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा थानों में जब्त मालखाना आइटम्स में दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों के निस्तारण के संबंध में माह मार्च व अप्रैल 2019 में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिनांक 1.03.2019 को video conference के दौरान सभी जिला एवं रेंज स्तरीय अधिकारियों को दिए हैं । आशा है आपने इस संबंध में सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी होगी ।

उक्त विषय में विशेष अभियान की प्रगति रिपोर्ट अपराध शाखा द्वारा पाक्षिक रूप से संकलित की जाएगी । आप द्वारा इस विशेष अभियान में की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट सलंग्न प्रारूप में जरिये mastermind भेजना सुनिश्चित करें । सूचना भेजने से पूर्व संबंधित पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त सूचना सही एवं पूर्ण होना सुनिश्चित करें । प्रथम रिपोर्ट (दिनांक 15.03.2019 तक की कार्रवाई की) दिनांक 16.03.2019 तक आवश्यक रूप से भेजें । आगामी रिपोर्ट दिनांक 1.04.2019, 16.04.2019 तथा 1.05.2019 को भेजना सुनिश्चित करें ।

सद्भावी,

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(भगवान लाल सोनी)
अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है -

1. महानिदेशक पुलिस, ATS एवं SOG, प्रशिक्षण, प्रशासन एवं कानून-व्यवस्था, राजस्थान ।

: +91-141-2740873 : +91-141-2740682 : adgp.crimebranch@rajpolice.gov.in

Scanned by CamScanner

2. समस्त अति. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस ।
3. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर एवं समस्त रेंज महानिरीक्षक, राजस्थान ।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, कार्मिक को महानिदेशक पुलिस, राजस्थान को सूचित करने हेतु ।
5. रक्षित पत्रावली ।

अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा,
राजस्थान

Scanned by CamScanner

दिनांक 1.03.2019 से 30.04.2019 तक दुपहिया / चौपहिया वाहनों (मालखाना आइटम्स) के निस्तारण का विशेष अभियान

पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट - कार्रवाई दिनांक 1.03.2019 से दिनांक _______ तक

प्रारूप - 1

क्र.सं.	नाम जिला	दिनांक 1.03.2019 को जिले के थानों में जब्त कुल वाहनों की संख्या	अभियान अवधि में अब तक जब्त (नए) वाहनों की संख्या	कुल जब्त वाहनों की संख्या	अभियान अवधि में जब्तशुदा वाहनों के अब तक निस्तारण की संख्या	वर्तमान में लंबित (शेष) जब्तशुदा वाहनों की संख्या					
						आपराधिक प्रकरणों में वजह सबूत जब्त	धारा 102 दं.प्र.सं. में जब्त	धारा 37, राज. पुलिस एक्ट में जब्त	मोटर व्हीकल एक्ट में जब्त	अन्य प्रकार से जब्त	कुल जब्त

प्रारूप - 2

क्र.सं.	नाम जिला	वाहनों की संख्या जिन्हें धारा 451, 459 दं.प्र.सं. में वाहन स्वामी को सुपुर्द करने अथवा नीलाम करने हेतु न्यायालय में आवेदन किया गया (दिनांक 1.03.2019 से अब तक)	वाहनों की संख्या जिनके लिए धारा 451, 459 दं.प्र.सं. में न्यायालय द्वारा वाहन सुपुर्द करने अथवा नीलाम करने के आदेश जारी किये (दिनांक 1.03.2019 से अब तक)	वाहनों की संख्या जो धारा 37, राज. पुलिस एक्ट में जब्त थे और उनके स्वामी का पता लगाने के लिए इश्तहार जिला पुलिस अधीक्षक / उपायुक्त द्वारा जारी किये गए (दिनांक 1.03.2019 से अब तक)	वाहनों की संख्या जो धारा 37, राज. पुलिस एक्ट में जब्त थे और जिनके स्वामी का पता लगने के पश्चात उन्हें सुपुर्द किये गए (दिनांक 1.03.2019 से अब तक)	वाहनों की संख्या जो धारा 37, राज. पुलिस एक्ट में जब्त थे और जिनके स्वामी का पता नहीं लगने के कारण उनकी नीलामी कराई गयी (दिनांक 1.03.2019 से अब तक)

Scanned by CamScanner